



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.एच.-अ.-10072026-274332
CG-JH-E-10072026-274332

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 546]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948

No. 546]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
(खान सुरक्षा महानिदेशालय)
अधिसूचना
धनबाद, 7 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 604(अ).—उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केन्द्रीय) नियम, 2026 के नियम 111 के उप-नियम 4 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, उज्ज्वल ता, खान मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, जिसे खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी नामित किया गया है, इसके द्वारा, आवधिक चिकित्सा परीक्षा की दूसरी सूचना के रूप को निर्दिष्ट करें, खान प्रबंधक द्वारा जांच किए जाने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा, यदि वह किसी भी उचित कारण के बिना चिकित्सा परीक्षा में भाग लेने में विफल रहा।

कार्यक्षेत्र: यह फॉर्म उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केन्द्रीय) नियम, 2026 के नियम 111 के उप-नियम 4 के अनुसार किसी भी उचित कारण के बिना चिकित्सा परीक्षा में भाग लेने में विफल रहने की स्थिति में जांच किए जाने वाले व्यक्ति को खान प्रबंधक द्वारा दी जाने वाली आवधिक चिकित्सा परीक्षा की सूचना को निर्दिष्ट करता है।

प्रयोज्यता: नोटिस का यह रूप एक खान प्रबंधक द्वारा किसी भी उचित कारण के बिना चिकित्सा परीक्षा में भाग लेने में विफल रहने के मामले में प्रबंधक द्वारा जांच किए जाने वाले व्यक्ति को जारी किया जाएगा और जारी किए गए इस तरह के नोटिस को व्यावसायिक सुरक्षा के नियम 111 के उप-नियम 4 के अनुसार प्रबंधक द्वारा परीक्षा प्राधिकरण को भेजा जाएगा और सभी खानों पर लागू होगा।

आवधिक चिकित्सा परीक्षा की दूसरी सूचना

सं .

दिनांक.....

श्री/श्रीमती/ सुश्री..... रोजगार की प्रकृति..... क्रम संख्या फॉर्म रजिस्टर,
 के पुत्र/पुत्री या/पत्नी (तिथि) को स्वयं उपस्थित होने में विफल रहें, जिसके संबंध में उसे
 (तिथि) को नोटिस दिया गया था।

उसे एतद्वारा फिर से सूचित किया जाता है कि उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केन्द्रीय) नियम 2026 के
 नियम 111 के उप-नियम 4 के तहत पर चिकित्सा परीक्षा के लिए स्वयं उपस्थित होना होगा..... (जांच प्राधिकारी
 का नाम दीजिए) (स्थान का सटीक विवरण दें) (तिथि दें) (समय दें)।

श्री/श्रीमती/सुश्री ध्यान दें कि यदि वह उपरोक्त चिकित्सा परीक्षा के लिए स्वयं उपस्थित होने में विफल
 रहते हैं, तो उन्हें (तिथि) से खान में रोजगार में नहीं रखा जाएगा।

दिनांक और मुहर के साथ प्रबंधक के हस्ताक्षर और नाम

खान का नाम-

[फा. सं. डीजीएमएस/02-3/2026/सीएमसी (मुख्यालय)]

उज्ज्वल ताह, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General Of Mines Safety)

NOTIFICATION

Dhanbad, the 7th July, 2026

G.S.R. 604(E).—In exercise of the powers conferred on me under sub-Rule 4 of the Rule 111 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, I, Ujjwal Tah, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines, also designated as the Director General of Mines Safety, hereby, specify the form of the second notice of medical examination shall be given by manager to the person to be examined, in case of he failed to attend medical examination for without any reasonable cause.

Scope: This form specify the notice of periodical medical examination to be given by manager to the person to be examined in case of he failed to attend medical examination for without any reasonable cause as per sub-rule 4 of the Rule 111 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026.

Applicability: This form of the notice shall be issued by a mine manager to the person to be examined, in case of he failed to attend medical examination for without any reasonable cause and such notice issued shall be sent to examination authority by mine manager as per sub-rule 4 of the Rule 111 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026 and applicable to the all mines

Second notice of Periodical medical examination

No.....

Date.....

Shri/Shrimati/Miss..... Nature of employment..... Serial number of Form_____ Register
 Son/daughter/wife of failed to present himself/herself for a periodical medical examination on..... in
 respect of which he/she/had been given a notice on(date)

He/She is hereby again notified that he/she should present himself/herself for a periodical medical examination,
 under sub-rule (4) 111 of The Occupational Safety, Health and Working Conditions (central) Rules, 2026,
 before.....(give name of the examining authority) at (give date) at..... (give time)

Shri/Shrimati/Miss....., may note that if he/she fails to submit himself/herself for the medical examination aforesaid, he/she shall not be retained in employment in the mine from.....(date)

Signature & name of Manager with date & Seal

Name of Mine

[F. No. DGMS/02-3/2026/CMC(HQ)]

UJJWAL TAH, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines